न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 52/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. चन्द्रसिंह पुत्र छोगासिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर/रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुंमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 24/09/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 50/51 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 134/131 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि, रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 22/22 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 49/53 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 23/20 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 253/76 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में सायल के दादा छोगसिंह के नाम दर्ज थी उनके बाद हिन्दू कर्ता खानदान होने के कारण गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज है। वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है। गैरसायल स0 1 के अकेले के नाम भूमि दर्ज होने के कारण गैरसायल उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने की फिराक में है यदि ऐसा हो गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वाद भूमि को रहन वैय व मुन्तकिल न करें मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज किया जाकर रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 49/53 कुल क्षेत्रफल 2.0240 है०, खाता संख्या 253/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है० व खाता संख्या 50/51 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० व चक 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 23/20 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है० व रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 134/131 के खसरा नं0 183/11 का कुल क्षेत्रफल 6.3230 है० व रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 वाद भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय, मुंतकिल न करे ।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है जो की पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है जिसमें प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा 5 बी बारानी के खाता स0 50/51, 16 जेएसएन के खाता स0 22/22 की कुल 1.0120 हैक्टर, रोही मौजा 1 केएनएन के खाता स0 23/20 की 1.5180 भूमि में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो की वर्तमान में चन्द्रसिंह के एवं पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है लेकिन रोही मौजा ननाउ के खाता स0 134/131 की कुल 6.3260 हैक्ट, 5 बी बारानी के खाता स0 49/53 की कुल 2.0240 हैक्ट, 5 बी बारानी के खाता स0 253/76 की 3.0360 हैक्ट भूमि वर्तमान मे चन्द्रसिंह के नाम दर्ज है बाबत ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है क्योंकि उक्त भूमि में प्रार्थी द्वारा पैतृक भूमि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक पैतृक भूमि में अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है जबकि कुछ भूमि बाबत अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पैतृक होने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है उक्त भूमि में अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन [illegible] अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर रोही मौजा 5 बी बारानी के खाता स0 50/51, 16 जेएसएन के खाता स0 22/22 की कुल 1.0120 हैक्टर, रोही मौजा 1 केएनएन के खाता स0 23/20 की 1.5180 भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है कि उक्त खातों में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा की हद तक न्यायायलय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक प्रार्थी के हक हिस्सा के भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रोही मौजा ननाउ के खाता स0 134/131 की कुल 6.3260 हैक्ट, 5 बी बारानी के खाता स0 49/53 की कुल 2.0240 हैक्ट, 5 बी बारानी के खाता स0 253/76 की 3.0360 हैक्ट भूमि में दिनांक 28.03.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested